Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–62 / 2024–25

श्री दिव्यम सलूजा,
फर्म मैसर्स प्यौर वैली एक्वा प्रोड्क्टस,
गैंड़ाखाली न0 – 03, पूर्णागिरी रोड,
टनकपुर
जिला– चम्पावत।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत।

प्रतिवादी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकें संयोजन संख्या CHOK000991020 के सापेक्ष 30 किलोवाट भार स्वीकृत है जिसके सापेक्ष निर्गत सभी बिलों का ससमय भुगतान किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि विभागीय भूल के कारण एरियर के रूप में वर्तमान एम.एफ.–01 को संशोधित कर, एम.एफ.–20 के आधार पर रू0 729410 का एरियर प्राप्त हुआ है। उन्होंने सी.टी. रेसियो ठीक करा के बिल संशोधन के लिए अनुरोध किया है।

   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 112 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 14.11.2024 में वादी की तरफ से श्री दिव्यम सलूजा, प्यौर वैली एक्वा प्रोड्क्टस तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री मंयक भट्ट उपखण्ड अधिकारी टनकपुर से दुरभाष पर सुनवाई की गयी । वादी ने बताया कि पहले इस परिसर में एक संयोजन अन्य फर्म मैसर्स किपर वाटर के नाम से 75 किलोवाट भार के लिए पंजीकृत था।

उन्होंने इस परिसर को फरवरी/मार्च 2023 में खरीद लिया तथा नया कनेक्शन 30 किलोवाट विद्युत भार के लिए अलग से ले लिया, जिसका संयोजन सं0 CH0K000991020 है। उन्होंने बताया कि वह विगत में इस संयोजन के सापेक्ष विभाग द्वारा निर्गत बिलो का ससमय भुगतान करते रहे है। उन्होंने बताया कि एकाएक सितंबर/अक्टूबर 2024 में, 20एम.एफ. का बिल एरियर के रूप में 729410 का प्राप्त हुआ। .

विभाग ने बताया कि पहले एक संयोजन 75 किलोवाट भार के लिए इसी परिसर में किपर वाटर के नाम से पंजीकृत था, जिसे तत्कालीन परिसर मालिक ने पी.डी. करा लिया था। इसके बाद वादी ने 30 किलोवाट भार का नया कनेक्शन निर्गत कराया। 30 किलोवाट का नया कनेक्शन निर्गत करते समय पहले से लगी हुई 100/5 रेसियो की सी.टी. का उपयोग किया गया, परन्तु भूल वश बिलिंग, एम.एफ. 1/1 के साथ होती रही। उन्होंने बताया कि अगस्त 2024 में विभाग द्वारा परिसर का निरीक्षण किया गया और तब संज्ञानित हुआ कि वादी का एम.एफ. 1/1 की जगह 100/5 सी.टी. रेसियो के अनुसार 20 होना चाहिए। इसको सुधार करते हुए विभाग द्वारा 729410 रू0 का एरिएर सितंबर माह में भेजा गया। वादी ने बताया कि वह इससे अनभिज्ञ थे और इस एरियर बिल का पुर्ननिरिक्षण किया जाए। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह प्रकरण में, संयोजन निर्गत करने की तिथि से अद्यतन स्टेटमैन्ट ऑफ अकाउंट, बिलिंग हिस्ट्री और निनिक्षण रिपोर्ट के साथ विस्तृत आख्या 15 दिन के अन्दर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 27.11.2024 को नियत की गयी थी। वादी से कहा गया था कि वह अंतरिम भुगतान के रूप में करंट बिल के साथ उपरोक्त एरियर में से 1 लाख रू0 जमा करें।

3. मंच की अगली सुनवायी, दिनांक 27.11.2024 को V/C के माध्यम से की गयी, जिसमें विभाग की तरफ से श्री संजय भण्डारी उप0 अधि0 चंपावत तथा वादी की तरफ से श्री दिव्यंम सलूजा उपस्थित हुए। वादी ने कहा है कि उन्हें स्टेटमैन्ट ऑफ अकाउंट तथा बिलिंग हिस्ट्री उपलब्ध करायी जाए, जिसका अध्ययन करने के बाद वह आगे अपना पक्ष रख पाएगें। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अंदर उपरोक्त दस्तावेज वादी को पावती के साथ उपलब्ध कराएँ, जिसकी एक प्रतिलिति मंच के पूर्व निर्देश दिनांक 14.11.2024 के कम में, विस्तृत आख्या के साथ निरिक्षण रिर्पोट के साथ मंच के समक्ष प्रेषित करें। वादी ने बताया कि मंच के पूर्व निर्देश दिनांक 14.11.2024 के कम में उन्होंने 01 लाख रू0 जमा कर दिए हैं। अगली सुनवायी तिथि 28.12.2024 को नियत की गयी थी।

4. प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 28.12.2024 को मंच के कैम्प कार्यालय पिथौरागढ़ में प्रस्तावित थी जिसे वादी के अनुरोध पर दिनांक 28.12.2024 को 11.30 बजे मंच के प्रस्तावित शिविर ज्ञानखेड़ा, टनकपुर में दिनांक 30.12.2024 में नियत किया गया।

वादी की तरफ से श्री दिव्यम सलूजा मय श्री मनजीत सलूजा (पिता) एवं प्रतिवादी की तरफ से श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव अवर अभियन्ता उपस्थित हुए।

उन्होंने बताया कि संबंधित अधिशासी अभियन्ता / उपखण्ड अधिकारी स्थानीय चुनावों के प्रबन्धन में व्यस्त होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पाये हैं। वादी ने बताया कि उनके द्वारा ससमय, विभाग द्वारा निर्गत रीडिंग आधारित बिलों का भुगतान किया गया और विभाग ने इस अवधि में पत्र के माध्यम से या मौखिक रूप से वादी को कभी भी सूचित नहीं किया कि उनका बिल कम आ रहा है और वह भविष्य में किसी अन्य बिल की वसूली करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर विभाग यह सूचित करता तो वह इस मद में समुचित धन राशि का प्रावधान करते।

विभाग ने बताया कि एम.एफ. समय पर उपडेट नहीं हाने की वजह से वादी को एम.एफ.01 के बिल निर्गत किये जाते रहे, और जब विभाग के संज्ञान में आया तब उन्होंने एम.एफ.20 के आधार पर एरियर बिल निर्गत किये। इससे स्पष्ट है कि विभाग के स्तर पर ससमय एम.एफ. अपडेट करने में लापरवाही हुई है। वादी को कहा गया था कि वह विभाग से प्राप्त बिलिंग हिस्ट्री तथा स्टेटमैन्ट अकाउंट का अध्ययन कर अपना पक्ष 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि वह अध्यतन आख्या के साथ लापरवाही करने वाले अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कृत कार्यवाही के साथ अपनी आख्या 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई तिथि दिनांक 13.01.2024 नियत की गयी थीं।

5.प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 13.01.2025 में V/C के माध्यम से सुनवाई हुयी, जिसमें श्री मंयक भट्ट उप0 अधि0 टनकपुर ने बताया कि एम.एफ. पंन्चिग का कार्य उनके मीटर टेस्टिंग विभाग द्वारा किया जाता है और लापरवाही करने वाले अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रकरण को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। अगली सुनवाई तिथि दिनांक 28.01.2025 नियत की गयी थीं।

6.मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 28.01.2025 तथा दिनांक 24.01.2025 नियत की गयीं थीं, जिनमें वाछिंत सूचनाए अप्राप्त होने की वजह से, प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाया।

7.मंच की अंतिम सुनवायी, आज दिनांक 27.02.2025 को V/C के माध्यम से की गयी। वादी की तरफ से उपस्थित श्री मनजीत सलूजा ने बताया कि विभागी भूल के कारण एरियर के रूप में वर्तमान एम.एफ.–01 को संशोधित कर एम.एफ.–20 के आधार पर रू0 729410 का एरियर प्राप्त हुआ है जिसमें से वह 01 लाख रू0 जमा कर चुकें है और शेष धनराशि को वह एक मुस्त जमा करने में असमर्थ है। उन्होंने बिना एल.पी.एस.सी. के बकाया राशि को करेंन्ट बिल के साथ 04 समान किश्तों में जमा करने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि पहली किश्त जमा करने के पश्चात् उनको विद्युत भार बढ़ाने की सुविधा दी जाए। विभाग की तरफ से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी श्री मंयक भट्ट ने बताया कि विभाग की त्रुटि की वजह से मीटर टेस्टिंग विभाग द्वारा ससमय सही एम.एफ.20 पन्च न करने की वजह से यह एरियर निर्गत किया गया है।

आदेश

प्रकरण में, वादी द्वारा परिसर में स्थापित 75 किलोवाट के संयोजन के पी.डी. होने के पश्चात् अपने नाम से 30 किलोवाट विद्युत भार का नया संयोजन लिया गया है। पुराना 75 किलोवाट का संयोजन तत्कालीन परिसर मालिक द्वारा विच्छेदित कराया गया था।

विभाग द्वारा पुराने विद्युत सिस्टम से वादी को 30 किलोवाट भार का नया संयोजन, पुराने लगे सी.टी. सिस्टंम के द्वारा, निर्गत किया गया जिसका सी.टी. रेसियो 100 / 5– एम.एफ. 20 था, परंतु विभाग द्वारा वादी के बिलों में, 30 किलोवाट भार का एम.एफ. भूलवश 20 की जगह 01 अंकित कर दिया गया और उसी के अनुसार वादी को बिल निर्गत किए गये।

जब अगस्त 2024 में विभाग द्वारा परिसर का निरीक्षण किया गया, तब यह गलत एम.एफ. का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आया और तदनुसार विभाग ने, वास्तविक एम.एफ. 20 के आधार पर रू0 729410 बकाए का बिल निर्गत किया, जिसमें से वादी द्वारा मंच के निर्देश दिनांक 14.11. 2024 के अनुक्रम में 01 लाख रू0 का अंतरिम भुगतान कर दिया गया है। वादी ने शेष राशि एकमुस्त जमा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

विभाग को एत्तद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वह वादी को प्रतिमाह करेन्ट बिल के साथ बकाया राशि 629410 को समान 04 किश्तों में एल.पी.एस.सी. रहित भुगतान करने की सुविधा प्रदान करें। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह एम.एफ. प्रकरण में दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। वादी को कहा जाता है कि वह करेन्ट बिल के साथ पहली किशत जमा करने के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार विद्युत भार बढ़ाने के लिए अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में संपर्क करें, जिस पर नियमानुसार लोड बढ़ाने की कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

इस प्रकरण में वादी द्वारा अगली सुनवायी तिथि के निवेदन, चैक मीटर की अनुउपलब्धता तथा मीटर की एम.आर.आई करने में बिलम्ब के कारण यह वाद निर्धारित 60 दिन की अवधि में निस्तारित नहीं हो सका।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

<u>दिनांक – 27.02.2025</u>

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	ओ0पी0 दीक्षित	चामू सिंह गर्स्याल
सदस्य उपभोक्ता	सदस्य तकनीकी	सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गर्स्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–74 / 2024–25

श्री अनिल कुमार पाण्डे,
ग्राम– उसैल, पो0ऑ0– देवलथल,
जिला– पिथौरागढ़। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
पिथौरागढ़। प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके परिसर के समीप एक वेल्डिंग की दुकान है जिसका मीटर नं0 40112397878 है जिसके कारण घरों मे फ्रिज, टी.वी. तथा अन्य विद्युत उपकरण आवाज करते है। उन्होंने लो वोल्टेज की समस्या को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 186 दिनांक 31.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 24.02.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से सुश्री दीक्षा पाण्डे उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुयी। विभाग ने बताया कि गांव मे स्थापित ट्रांसफोरमर का लोड बेंलेस कर समस्या का निराकरण कर दिया गया है। शिकायतकर्ता से उनके द्वारा दिए गये फों0 नं0 9760186147 पर सुनवायी की गयी जिन्होंने उपरोक्त पर पुष्टि की है।

आदेश

3. विभाग द्वारा गांव मे स्थापित ट्रांसफोरमर का लोड बेंलेस कर समस्या का निराकरण कर दिया गया है जिस पर वादी ने अपली संतुष्टि व्यक्त की है।

24/3/25

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्‌घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 24.02.2025

25/2/25

ओ0पी0 दीक्षित	बी0 एस0 बिष्ट	चामू सिंह गस्याल
सदस्य तकनीकी	सदस्य उपभोक्ता	सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–77 / 2024–25

श्रीमती गोविन्दी दवी,
ग्राम– नखनोली, पो0ऑ0– लुँगाछीना,
जिला– पिथौरागढ़। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
पिथौरागढ़। — प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके परिसर में संयोजन संख्या पी.टी. 24246061633 को, जो उनकें पति के नाम से पंजीकृत था, कटवाकर उसका मीटर विभाग में जमा करा दिया गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने नया विद्युत संयोजन संख्या पी.टी. 24246093567 अपने नाम पर निर्गत करा लिया है जिसका बिल ससमय प्रतिमाह जमा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इतने वर्षो के बाद संयोजन संख्या पी.टी. 24246061633, जोंकि मेरे पति के नाम से पंजीकृत था, के सापेक्ष रू0 6750 का बिल निर्गत किया गया है, जिसका भुगतान वह नहीं कर सकतीं। उन्होंने बताया कि विभागीय कर्मचारी उपरोक्त कार्य के लिए उनसे 3000 रू0 ले गया है, उन्होंने विच्छेदित संयोजन के सापेक्ष बकाया राशि को ठीक करने का निवेदन किया है।

   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 190 दिनांक 31.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 24.02.2025 में वादी की तरफ से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री हरीश चंद्र भट्ट तथा विभाग की तरफ से सुश्री दीक्षा पाण्डे उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुयी। विभाग ने बताया कि मीटर रीडर की गलती पाए जाने के पश्चात् विवादित बिल की वसूली दोषी मीटर रीडर से कर ली गयी है तथा शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

परिवाद संख्या–77 / 2024–25

आदेश

विभाग द्वारा विवादित विद्युत बिल को दोषी मीटर रीडर से वसूल लिया गया है। जिस पर वादी संतुष्ट है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी द्वारा विभागीय कर्मचारी को दिए गये 3000 रू0 की जाँच कराएँ।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 24.02.2025

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

चामू सिंह गर्स्याल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति

1–चामू सिंह गरस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–83 / 2024–25

श्री मोहन सिंह धामी,
ग्राम– मदकोट, पो0ऑ0– मदकोट,
जिला– पिथौरागढ़। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
धारचूला। प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या डी.एच. 2एम.204147080 के सापेक्ष 02 वर्षों से कोई बिल निर्गत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि विभाग से संपर्क करने पर दिनांक 08.11.2024 को रू0 12517 का बिल निर्गत हुआ। इसके बाद दिनांक 15.12.2024 को रू0 13296 का बिल प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा है कि वह बी.पी.एल. श्रेणी में आते है और इतना बिल एकसाथ जमा करने में असमर्थ है। उन्होंने विद्युत बिल में रियायत देने के लिए निवेदन किया है।

   प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 201 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 24.02.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री बिष्ट अधिशायी अभियन्ता वि0वि0ख0 धारचूला उपस्थित हुये। विभाग ने बताया कि उपभोक्ता को ससमय रीडिंग आधारित बिल निर्गत किए जाते रहे है और शिकायत में उल्लखित बिल भी रीडिंग आधारित है और सही है। उन्होंने यह भी बताया की वादी ने मूल बिल की धनराशि 12468 रू0 जमा कर दी है। उपरोक्त पर पुष्टि के लिए वादी से उनके द्वारा दिए फों0 नं0 9568180470 पर बात की गयी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अध्यतन बिल जमा कर दिया है और अब उन्हें बिल से संबंधित कोई शिकायत नहीं है।

आदेश

3. विभाग द्वारा विगत में रीडिंग आधारित बिल निर्गत किए गये है जिन्हें वादी ने समय समय पर भुगतान किया है। वादी ने अध्यतन बिन का भुगतान कर दिया है और उनका कहना है कि अब उनको इस बार में कोई शिकायत नहीं हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – **24.02.2025**

ओ0पी0 दीक्षित
सदस्य तकनीकी

बी0 एस0 बिष्ट
सदस्य उपभोक्ता

चामू सिंह गर्स्याल
सदस्य न्यायिक